



1635 Ad
25/11/17
DIRECTORATE OF WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND
BACKWARD CLASSES DEPARTMENT, HARYANA

निदेशालय, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा।

S.C.O. 42-44, Sec. 17-A, Chandigarh



सेवा में,

निदेशक,
सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकुला।

क्रमांक :- आर-1/2017/9412

दिनांक:- 25-4-17

विषय:-

CM Window बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 10/31-12 प्रशा0(3) दिनांक 07.03.2017 के सन्दर्भ में।

इस सन्दर्भ में आपके द्वारा मांगी गई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2016 की प्रति पत्र के साथ संलग्न करके आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- 1

Ad/Am
13298CR
27-04-2017

8
11517
-3

25/4/17

अनुसंधान अधिकारी

कृते: निदेशक अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े
वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण
विभाग, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा राज्य में ।
3. मुख्य प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, सभी सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाएँ हरियाणा राज्य में ।
4. मण्डल आयुक्त, रोहतक, हिसार, गुडगांव व अम्बाला मण्डल ।
5. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में ।
6. रजिस्टार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
7. सभी उप मण्डल अधिकारी (सिविल), हरियाणा राज्य में ।
8. रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्यालय, हरियाणा राज्य में ।
9. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला ।
10. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला ।
11. निदेशक, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA), गुडगांव ।

क्र० 749-SW-(1)2016


दिनांक: 29-7-2016

विषय:

**The Constitution (Scheduled Castes) order Amendment Act, 2016
number 24 of 2016.**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना क्र०आ० 2221(अ०) दिनांक 28 जून, 2016 की प्रति The Constitution (Scheduled Castes) order Amendment Act-2016 No. 24/2016 सहित संलग्न कर के आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है जिस द्वारा हरियाणा राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में क्र०सं० 1ए पर Aheria, Aheri, Hari, Heri, Thori, Turi व क्र०सं० 29ए पर राय सिक्ख जातियां शामिल की गई हैं।



अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़

पृ० क्रमांक : 749-SW-(1)2016

दिनांक : 29-7-2016

इसकी एक प्रति निदेशक, NIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1600]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2016/आषाढ़ 7, 1938

No. 1600]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2016/ASHADHA 7, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

क्र.सं. 2221(अ).—केन्द्रीय सरकार, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (मशौथन) अधिनियम, 2016 (2016 का 24) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2016 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम के उपबंध हरियाणा, केरल, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों के संबंध में प्रवृत्त होंगे।

[सं 12016/10/2014-एस.टी.सी. (आर.एन.सेल)]

आई.टी. अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2016

S.O. 2221(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016 (24 of 2016), the Central Government hereby appoints the 30th day of June, 2016, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the States of Haryana, Kerala, Odisha, West Bengal and Chhattisgarh.

[I No 12016/10/2014-SCD (R I Cell)]

AINDRI ANURAG Ji Secy

5248 of 2016

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड I

PART II — Section I

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016/ वैशाख 19, 1938 (शक)

No. 27]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/VAISAKHA 19, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 9th May, 2016/Vaisakha 19 1938 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 6th May, 2016, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) ACT, 2016

No. 24 of 2016

[6th May, 2016.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016.

Short title
and com-
mencement

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different States and any reference in any provision to the commencement of this Act shall be construed in relation to any State as a reference to the coming into force of that provision in that State.

